दिनांक 22.11.2024
प्रेस विज्ञप्ति 33/2024

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

कमिश्नरेट प्रयागराज/थाना मेजा

- **20 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 22.11.2024 को थाना मेजा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर माण्डा रोड चौराहा के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त रामसिंह को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना मेजा पर पंजीकृत गैंगेस्टर एक्ट के अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 20 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना मेजा पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–रामसिंह निवासी नेवादा वर्धनी थाना माण्डा कमिश्नरेट प्रयागराज।

कमिश्नरेट प्रयागराज/क्राइम ब्रान्च प्रयागराज

- **20 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 21.11.2024 को क्राइम ब्रान्च प्रयागराज पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर राजापुर के पीछे वाली रोड स्थित चाय की दुकान के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त विपिन को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना कौंधियारा पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 20 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में प्रयागराज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–विपिन निवासी ग्राम भमोखर थाना कौंधियारा कमिश्नरेट प्रयागराज।

जनपद देवरिया/थाना सुरौली

- **पुलिस कार्यवाही में 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 मोटर साइकिल**
- **02 अवैध शस्त्र विभिन्न बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनॉकः 22.11.2024 को थाना सुरौली पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम मरकटिया के पास पुलिस कार्यवाही में 02 अभियुक्त 1—अनुराग गुप्ता 2—आशीष को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 01 मोटर साइकिल, 02 अवैध शस्त्र विभिन्न बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

इस सम्बन्ध में थाना सुरौली पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—अनुराग गुप्ता निवासी वार्ड नं0—16 रामनाथ देवरिया थाना कोतवाली जनपद देवरिया।
2—आशीष निवासी वार्ड नं0—16 रामनाथ देवरिया थाना कोतवाली जनपद देवरिया।

बरामदगी

1—01 मोटर साइकिल।
2—02 अवैध शस्त्र विभिन्न बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

कमिश्नरेट प्रयागराज/थाना नैनी

- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 07 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 22.11.2024 को थाना नैनी व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर आरटीओ जाने वाले रास्ते के पास से 03 अभियुक्तों 1—अंकित कुमार 2—आदर्श 3—आशीष उर्फ मदन मोहन को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 07 मोटर साइकिल आदि बरामद हुई।

इस सम्बन्ध में थाना नैनी पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—अंकित कुमार निवासी पनासा दांडे थाना करछना कमिश्नरेट प्रयागराज।

2—आदर्श निवासी मडवा बीरपुर खाई थाना करछना कमिश्नरेट प्रयागराज।

3—आशीष उर्फ मदन मोहन निवासी जगदीशपुर डीहा थाना करछना कमिश्नरेट प्रयागराज।

बरामदगी

1—चोरी की 07 मोटर साइकिल आदि।

जनपद बरेली/थाना इज्जतनगर

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 37 लाख 50 हजार रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 01 किलो 500 ग्राम अवैध अफीम**
- **01 दो पहिया वाहन बरामद**

दिनॉकः 21.11.2024 को थाना इज्जतनगर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर विलयधाम पुल के पास से 02 अभियुक्तों 1—गनपत 2—सुमित को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही लगभग 37 लाख 50 हजार रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 01 किलो 500 ग्राम अवैध अफीम, 01 दो पहिया वाहन बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना इज्जतनगर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—गनपत निवासी ग्राम चाहडपुर थाना भमौरा जनपद बरेली।

2—सुमित निवासी चकरपुर थाना भमौरा जनपद बरेली।

बरामदगी

1—लगभग 37 लाख 50 हजार रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 01 किलो 500 ग्राम अवैध अफीम।

2—01 दो पहिया वाहन।

<u>जनपद बरेली/थाना फतेहगंज पश्चिमी</u>

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **116 ग्राम अवैध स्मैक**
- **1790/–रूपये नगद**
- **01 मोटर साइकिल बरामद**

दिनॉकः 21.11.2024 को थाना फतेहगंज पश्चिमी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर माधोगंज अण्डर पास के नीचे से अभियुक्त फकरूद्दीन को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 116 ग्राम अवैध स्मैक, 1790/–रूपये नगद, 01 मोटर साइकिल बरामद हुयी।

इस सम्बन्ध में थाना फतेहगंज पश्चिमी पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–फकरूद्दीन निवासी मोहल्ला ठाकुरद्वारा कस्बा व थाना फतेहगंज पश्चिमी जनपद बरेली।

<u>बरामदगी</u>

1–116 ग्राम अवैध स्मैक।

2–1790/–रूपये नगद।

3–01 मोटर साइकिल।

- **<u>जनपद इटावा/थाना भरथना (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 04 अभियुक्तो को आजीवन कारावास की सजा व 10–10 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद इटावा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद इटावा द्वारा थाना भरथना पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/34 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–जगदीश 2–अवनीश 3–आशुतोष 4–रामवीर को आजीवन कारावास व 10–10 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद हरदोई/थाना कोतवाली देहात (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 75 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद हरदोई पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद हरदोई द्वारा थाना कोतवाली देहात पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376 क/302/201 भादवि व 3/4 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त आलोक को आजीवन कारावास व 75 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद सीतापुर/थाना महोली (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 03 अभियुक्तो को आजीवन कारावास की सजा व 30–30 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद सीतापुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद सीतापुर द्वारा थाना महोली पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/34 भादवि व 3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त 1–लाला उर्फ देवशंकर 2–सुधीर कुमार 3–उत्तम कुमार को आजीवन कारावास व 30–30 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद कौशाम्बी/थाना कोखराज (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 03 अभियुक्तो को 10–10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 05–05 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद कौशाम्बी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद कौशाम्बी द्वारा थाना कोखराज पर पंजीकृत अभियोग में धारा 304/34 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–सुरेमन 2–जगत नारायण 3–बलवन्त को 10–10 वर्ष के कठोर कारावास व 05–05 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

एस0टी0एफ0–थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़ पर पंजीकृत मु0अ0सं0ः 411/2019 धाराः 2/3 गैगेंस्टर एक्ट में वांछित एवं रू0 50,000/–का पुरस्कार घोषित अभियुक्त आजम मुम्बई से गिरफ्तार।

दिनांक–22.11.2024 को एस0टी0एफ0 उत्तर प्रदेश को थाना जेठवारा, जनपद प्रतापगढ़ पर पंजीकृत मु0अ0सं0–411/2019 धारा–2/3 गैगेंस्टर में वांछित एवं रू0 50,000/– का पुरस्कार घोषित अभियुक्त आदम उर्फ आजम को मुम्बई से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः–

आदम उर्फ आजम पुत्र निजाम, निवासी ग्राम फसियालगढ़, थाना जेठवारा, जनपद प्रतापगढ़।

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समयः–

अनमोल होटल, फातिमा नगर, थाना क्षेत्र शान्तिनगर, भिवंडी, मुम्बई । दिनांकः 21.11.2024, समय 21ः20 बजे।

एसटीएफ उ0प्र0 को विगत काफी दिनों से फरार/पुरस्कार घोषित अपराधियों द्वारा सक्रिय आपराधिक घटनाएँ कारित करने की सूचनाएँ प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में एसटीएफ की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त निर्देश के क्रम में श्री शैलेश प्रताप सिंह, पुलिस उपाधीक्षक, एसटीएफ फील्ड इकाई, प्रयागराज के पर्यवेक्षण में निरीक्षक श्री जय प्रकाश राय, एसटीएफ फील्ड इकाई, प्रयागराज के नेतृत्व में टीम गठित कर अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

प्रयागराज टीम द्वारा थाना जेठवारा, जनपद प्रतापगढ़ में पंजीकृत मु0अ0सं0–411/2019 धारा–2/3 गैगेंस्टर एक्ट में वांछित व रू0 50,000/– के पुरस्कार घोषित अभियुक्त आजम की गिरफ्तारी हेतु अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी। इस दौरान मुखबिर के माध्यम से ज्ञात हुआ कि अभियुक्त आजम उर्फ आदम महाराष्ट्र में फातिमानगर थाना क्षेत्र शान्तिनगर भिवंडी में कहीं छिपकर रह रहा है। प्राप्त सूचना पर

उप निरीक्षक श्री विनय तिवारी, मुख्य आरक्षीगण अश्वनी कुमार सिंह, पंकज तिवारी, आरक्षी किशनचन्द व आरक्षी चालक अखण्ड प्रताप पाण्डेय की एक टीम मुम्बई रवाना हुयी तथा गठित टीम अनमोल होटल फातिमा नगर थाना क्षेत्र शान्तिनगर भिवंडी, मुम्बई पहुॅचकर मुखबिर की निशादेही अभियुक्त आदम उर्फ आजम उपरोक्त को गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त आदम उर्फ आजम उपरोक्त ने पूछताछ में बताया कि इन लोगों का अवैध असलहा बनाकर बेचने का एक गिरोह है जिसमें इसके साथी फईम, मो0सराफत, मो0 इसरार व सईद है। इनके गिरोह का सरगना सईद है। गिरोह के सदस्यों द्वारा बनाये गये असलहों को यह लोग मार्केट में चोरी–छिपे सप्लाई करने का काम करते है। असलहा बिक्री से जो पैसा मिलता है, उसे बराबर–बराबर हिस्से में बांट लिया करते है। वर्ष 2019 में असलहों की डिलीवरी देने के लिये यह लोग जा रहे थे कि चौकी डेरवा क्षेत्र में खटवारा नदी के पास पुलिस द्वारा इन लोगों को पकड़ लिया गया था जिसमें इन लोगों के ऊपर मुकदमा भी पंजीकृत हुआ था। कुछ दिनों बाद इसे जानकारी हुई कि उसी मुकदमें से सम्बन्धित इसके ऊपर गैंगेस्टर एक्ट का अभियोग पंजीकृत हुआ है और इस पर पुरस्कार भी घोषित हुआ है, जिसकी जानकारी होने के बाद से ही यह गिरफ्तारी से बचने के लिए भिवंडी, मुम्बई में इधर–उधर छिपकर रह रहा था।

गिरफ्तार अभियुक्त आदम उर्फ आजम उपरोक्त को थाना जेठवारा, जनपद प्रतापगढ़ में पंजीकृत मु0अ0सं0–411/2019 धारा–2/3 गैगेंस्टर एक्ट में फातिमानगर थाना क्षेत्र शान्तिनगर, भिवंडी, मुम्बई से गिरफ्तार कर थाना शान्तिनगर में दाखिल किया गया तथा गिरफ्तार अभियुक्त को सम्बन्धित मा0 न्यायालय प्रथम वर्ग कक्ष सं0–07 भिवंडी, मुम्बई के समक्ष प्रस्तुत कर ट्रांजिट रिमाण्ड प्राप्त किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त को सम्बन्धित थाना जेठवारा, जनपद प्रतापगढ़ में दाखिल कर अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा अमल में लायी जायेगी।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त आदम उर्फ आजम उपरोक्त का ज्ञात आपराधिक इतिहास</u> :–

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
01.	271/2019	419/420/467/468/471 भादवि व 7/8/24, 3/25 आर्म्स एक्ट	जेठवारा	प्रतापगढ़
02.	272/2019	5/8/25/27 आर्म्स एक्ट	जेठवारा	प्रतापगढ़
03.	275/2019	3/25 आर्म्स एक्ट	जेठवारा	प्रतापगढ़
04.	411/2019	2/3 गैगेंस्टर एक्ट	जेठवारा	प्रतापगढ़
05.	181/2022	174 ए भादवि	जेठवारा	प्रतापगढ़

——————